अर्हताएं (Eligibility)

यूपीकैटेट–2023 के माध्यम से प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैः–

1. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा निम्नवत् हैः–

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं वे उत्तर प्रदेश में पिछले पाँच वर्षों से निवास कर रहे हों।

अथवा

भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल–स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि पाँच वर्षों से कम नहीं है।

अथवा

उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के (सिविल अथवा सैन्य सेवा में) कर्मचारियों अथवा जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंको, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल लि0, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

अथवा

विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

2. ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी अपनी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सुनिश्चित करें।

   i. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पृष्ठ सं0 14 पर उपलब्ध है।

   ii. परास्नातक (मास्टर्स) पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पृष्ठ सं0 15–18 पर उपलब्ध है।

   iii. पी–एच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पृष्ठ सं0 18–21 पर उपलब्ध है।

नोटः–

1. अभ्यार्थियों को संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन करने से पूर्व अधिमानी अर्हता (Eligibility) का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा निकाय अर्हता की पात्रता का आंकलन नहीं करेगी। अर्हता का आंकलन मूल प्रमाण पत्रों से प्रवेश के समय होगा। अर्हता के अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. उ0प्र0 के मूल निवासी होने का प्रमाण वांछित प्रारूप में काउन्सिलिंग तथा प्रवेश के समय जरूरी होगा।
3. किसी भी पाठ्यक्रम (स्नातक, परास्नातक एवं पी–एच0डी0)में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नियमित अध्ययन की मान्य होगी। **Open** तथा **Distance Education** आदि से प्राप्त शैक्षणिक अर्हता मान्य नहीं होगी।